



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 23, 2017/कार्तिक 1, 1939

No. 275]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2017/KARTIKA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना नीति और कार्यान्वयन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2017

एफ. सं. 13/1/2017-इंफ्रा.—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची **(अनुबंध-I)** एतद्वारा अधिसूचित की जाती है। नई सूची में 30 मार्च, 2017 की अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन सम्मिलित किए जाएंगे।

1. "सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी के अंतर्गत उप-क्षेत्र "1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल" को "पर्यटक अवसंरचना अर्थात् (i) 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल, (ii) रोपवे एवं केबलकार" के रूप में संशोधित किया जाता है।

2. "परिवहन" श्रेणी के अंतर्गत उप-श्रेणी "रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल" को "स्टेशन और समीपवर्ती वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल, टर्मिनल अवसंरचना" के रूप में संशोधित किया जाता है।

एस. सेल्वकुमार, संयुक्त सचिव (बीसी)

अनुबंध-I

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र. सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> सड़क और पुल पत्तन¹

		<ul style="list-style-type: none"> • पोत कारखाना² • अन्तर्देशीय जलमार्ग • एयरपोर्ट • स्टेशन और समीपवर्ती वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल, टर्मिनल अवसंरचना • शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक के सिवाय)
2.	ऊर्जा	<ul style="list-style-type: none"> • विद्युत उत्पादन • विद्युत पारेषण • विद्युत वितरण • तेल पाईपलाइनें • तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा³ • गैस पाईपलाइनें⁴
3.	जल और स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन • जल आपूर्ति पाईपलाइनें • जल शोधन संयंत्र • मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली • सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) • स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली • पतले मसाले की पाइपलाइनें
4.	संचार	<ul style="list-style-type: none"> • दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क)⁵ • दूरसंचार टावर • दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संस्थाएं (कैपिटल स्टॉक) • खेलकूद अवसंरचना⁶ • अस्पताल (कैपिटल स्टॉक)⁷ • पर्यटक अवसंरचना अर्थात् (i) 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल (ii) रोपवे एवं केबलकार • औद्योगिक पार्कों तथा फूड पार्कों, टेक्सटाईल पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधा तथा कृषि बाजार जैसी औद्योगिक गतिविधि सहित अन्य पार्कों हेतु साझी अवसंरचना • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं • प्रशीतन श्रृंखला⁸ • सस्ते आवास⁹

1 बड़े तलकपर्षण शामिल हैं।

2 “पोत कारखाने” को तैरती हुई अथवा तटीय, घुमावदार बंदरगाह, लंगरगाह और डॉकिंग सुविधा, जलावतरण मंच और/अथवा पोत उठाव की आवश्यक विशेषताओं वाले जल पर अथवा भूमि पर स्थित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो पोत निर्माण/मरम्मत/पोत तोड़ने के कार्यकलाप करने में सक्षम है।

3 कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।

4 शहरी गैस संचितरण नेटवर्क शामिल है।

- 5 ऑप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।
- 6 खेलकूद और खेलकूद संबंधी कार्यकलाप में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए प्रशिक्षणशालाओं हेतु खेलकूद स्टेडियम और अवंसरचना का प्रावधान शामिल है।
- 7 चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।
- 8 कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर की प्री-कूलिंग हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है।
- 9 "सस्ते आवास" को एक ऐसी आवासीय परियोजना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अधिकतम 60 वर्ग मीटर के कार्पेट क्षेत्रफल@ वाली आवासीय इकाई के लिए फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएसआर)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग किया गया है।
- 10 "कार्पेट क्षेत्रफल" का तात्पर्य वही होगा जो स्थावर संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (ट) में दिया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INFRASTRUCTURE POLICY AND PROGRAMME SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2017

F. No. 13/1/2017-INF.—With the approval of the Competent Authority, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporates the following change to the notification dated 30th March, 2017:

- Under the category of "Social and Commercial Infrastructure" the sub-category "Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million" is amended as "Tourism infrastructure viz. (i) three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million, (ii) ropeways and cable cars".
- Under the category of "Transport" the sub-category "Railway Track, tunnels, viaducts, bridges" is amended as "Railway Track, tunnels, viaducts, bridges, terminal infrastructure including stations and adjoining commercial infrastructure."

S. SELVAKUMAR, Jt. Secy. (BC)

Annexure-I

Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors

Sl. No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Roads and bridges • Ports¹ • Shipyards² • Inland Waterways • Airport • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges, terminal infrastructure including stations and adjoining commercial infrastructure • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines

		<ul style="list-style-type: none"> • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility³ • Gas pipelines⁴
3.	Water and Sanitation	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments, etc.) • Storm Water Drainage System • Slurry Pipelines
4.	Communication	<ul style="list-style-type: none"> • Telecommunication (fixed network)⁵ • Telecommunication towers • Telecommunication & Telecom Services
5.	Social and Commercial Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> • Education Institutions (capital stock) • Sports Infrastructure⁶ • Hospitals (capital stock)⁷ • Tourism infrastructure viz. (i) three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million, (ii) ropeways and cable cars • Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets • Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage • Terminal markets • Soil-testing laboratories • Cold Chain⁸ • Affordable Housing⁹

¹ Includes Capital Dredging

² “Shipyard” is defined as a floating or land-based facility with the essential features of waterfront, turning basin, berthing and docking facility, slipways and/or ship lifts, and which is self sufficient for carrying on shipbuilding/repair/breaking activities.

³ Includes strategic storage of crude oil.

⁴ Includes city gas distribution network.

⁵ Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.

⁶ Includes the provision of Sports Stadia and Infrastructure for Academies for Training/Research in Sports and Sports-related activities.

⁷ Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.

⁸ Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.

⁹ “Affordable Housing” is defined as a housing project using at least 50% of the Floor Area Ratio (FAR)/Floor Space Index (FSI) for dwelling units with carpet area[@] of not more than 60 square meters.

[@] “Carpet Area” shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.